

## आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) का स्वीकार किया जाकर ग्राम गिडानियां में स्थित ओदकगण के कृषि भूमि खसरा नम्बर 611/112 में आवागमन हेतु अनावेदकगण के कृषि भूमि खसरा नम्बर 112 में से नजरी नक्शा में अंकित बिन्दू ए से बी लम्बाई 137 मीटर चौड़ाई 6 मीटर कुल क्षेत्रफल 822 वर्ग मीटर भूमि को राजकीय रास्ता कायम किया जाता है। तथा तहसीलदार चिड़ावा को आदेशित किया जाता है कि रास्ते के रूप में समायोजित होने वाली भूमि के बदले भूमि आवेदकगण के भूमि खसरा नम्बर 611/112 में से कम की जाकर अप्रार्थीगण के भूमि खसरा 112 में समायोजिक कर राजस्व रिकार्ड में अमल दारामद करें।

(डा० नरेश सोनी)  
उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा

निर्णय आज दिनांक 22.12.25 मेरे द्वारा पृथक से टंकित करवाया जाकर खुले

न्यायालय में सुनाया गया।

(डा० नरेश सोनी)  
उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा  
चिड़ावा जिला मुख्यालय